केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/2019/00180 दिनांक 05.03.2019

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश साहू,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके आवेदन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपका दिनांक 12.02.2019 का आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 19.02.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में डायराईज हुआ तथा आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में दिनांक 20.02.2019 को प्राप्त हुआ, से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :-

बिंदु सं. 1 – आपने केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा धारित कोई सूचना नहीं मांगी है, बल्कि प्रश्न पूछे हैं जो कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) में परिभाषित सूचना की परिभाषा में शामिल नहीं है । अत: ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में जन सूचना अधिकारी असमर्थ है ।

साथ ही यह भी उल्लेख किया जाता है कि वैसे कार्यालय जिनपर सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 लागू है, उनकी परिभाषा सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (क) (i) (ii) में दिया गया है । आप चाहें तो सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि आयोग की वेबसाईट के लिंक https://cic.gov.in/sites/default/files/rti-actinhindi.pdf सहित इंटरनेट में आसानी से उपलब्ध है का अवलोकन कर सकते हैं ।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 दूरभाष नं. 011-26162290 पर की जा सकती है ।

6/3/19

(टी. बी. जे. एस. राजप्पा)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी,
आर.टी.आई.सेल
दूरभाष – 011-26172690